भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

No. A/2-1/2007-WII (Vol. IX: 2015-16)

दिनांक 28 अगस्त 2015

प्रेषित

श्री रजत कुमार
12/3 भण्डारी बाग
देहरादून। उत्तराखण्ड

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना के संदर्भ में।

संदर्भः आपका सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 6.7.2015.

महोदय,

आपके उपरोक्त वर्णित पत्र के माध्यम से वांछित सूचना आपको प्रश्नवार एवं उचित संलग्नक के माध्यम से 1 पृष्ठ में उपलब्ध कराई जा रही है।

अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील प्राधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं, जिनका पता निम्नानुसार है–

डॉ0 वी.बी. माथुर, निदेशक एवं अपील प्राधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पो.ओ. बॉक्स 18, चन्द्रबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

धन्यवाद।

भवदीय,

(असीम श्रीवास्तव)
लोक सूचना अधिकारी

28/8/15

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (1 पृष्ठ)

पत्रपेटी सं0 18, चन्द्रबनी, देहरादून – 248001, उत्तराखण्ड, भारत
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun – 248001, Uttarakhand, INDIA
ई.पी.ए.बी.एक्स : +91-135-2640111 से 2640115 फैक्स : 0135-2640117
EPABX : +91-135-2640111 to 2640115; Fax : 0135-2640117;
ई–मेल / E-mail: wii@wii.gov.in, वेब / website: www.wii.gov.in

भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्दबनी, देहरादून

दिनांक – 27.08.2015

विषय – CPIO नोट दिनांक 8 जुलाई 2015 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री रजत कुमार, देहरादून द्वारा मॉगी गई आवश्यक सूचना के सन्दर्भ में ––

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	आपके उत्तर 2 में बताया गया है कि रिजर्व फोरेस्ट ने 188.82 एकड़ भूमि वन्य प्राणी शोध के लिये दे रखी है अर्थात वन्य प्राणी शोध प्रयोग में ला रहा है । क्या उक्त 188.82 एकड़ भूमि की बाबत आपके विभाग (भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून) द्वारा रिजर्व फोरेस्ट को कितनी धनराशी अथवा कोई लाभ दिया गया अथवा नहीं ?	उक्त 188.82 एकड़ भूमि सरकारी आरक्षित वन भूमि है जिसे उत्तराखंड सरकार ने वन्यप्राणी संस्थान को लोकहित में मुफत में उपलब्ध करवाया गया है ।
2	बिल्डिंग एवं सड़क 13.13 एकड़ एवं खेल का मैदान 18.43 एकड़ कुल भूमि 31.56 एकड़ गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 20.38 एकड़ भूमि कर आपके विभाग को दी गई, यानि 31. 56 एकड़ – 20.38 एकड़ = 11.18 एकड़ अधिक भूमि किस आधार पर प्रयोग में लाई जा रही है ?	सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि तथा 20.38 अधिकृत भूमि मिलाकर अन्य ऑकड़ों का अवलोकन करने का कष्ट करें । पूर्व में दिए उत्तर में कोई विरोधाभास नहीं है ।
3	गजट नोटिफिकेशन से ज्यादा भूमि आपके विभाग द्वारा छोड़ने अथवा उसे नोटिफिकेशन से पहले की स्थिति में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ? अथवा दून हाएसिंग प्रा0लि0 के नाम दर्ज होगी ।	इस संस्था द्वारा कोई भूमि नहीं छोड़ी गई है तथा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ।
4	जो भूमि रिजर्व फोरेस्ट द्वारा 188.82 एकड़ भूमि की एवज में कोई आपके विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया अथवा नहीं ? क्यों न अतिरिक्त भूमि 188.82 एकड़ भूमि का मुआवजा आपका विभाग दून हाएसिंग प्रा0लि0 को अदा करे ?	जैसा कि ऊपर बताया गया 188.82 एकड़ भूमि सरकारी आरक्षित वन भूमि है तथा दून हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का इस भूमि से किसी भी प्रकार को सम्बन्ध नहीं है ।

(प्रणव पाल)

28.08.15
CPIO
28.8.15
PA(RTI)

ATTESTED
Wildlife Institute of India